INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GOPESHWAR

(Constituent Institute of Uttarakhand Technical University, Dehradun)

Approved by AICTE

कोटेशन आमत्रंण सूचना

प्रोद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर में तीन माह के लिए Innova गाड़ी की आवश्यकता है, इस हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना है। कोटेशन दिनांक 02/02/19 सायं 4:00 बजे तक प्रोद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर में सील लिफाफे में जमा किये जायेगें । कोटेशन गठित समिति के सम्मुख दिनांक 04/02/19 3.00 बजे कोटेशन दाताओं के सम्मुख खोले जाऐंगें। कोटेशन के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न किये जाने आवश्यक है :–

1– वाहन का व्यवसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण भारत के लिए तथा वाहन का बीमा वैध होना चाहिए। जिसकी पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित।

2– वाहन चालक के पास मैदानी व पहाडी क्षेत्र में वाहन चलाने का L.M.V ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिये। जिसकी वैधता निविदा मांगे जाने की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक हो, पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित।

3– वाहन चालक की ओर से नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र कि उसका ड्राइविंग लाइसेन्स समी आरोपो से मुक्त है तथा भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा के अन्तर्गत उसके विरूद्व किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत नहीं है।

4– वाहन मॉडल जनवरी 2017 से पूर्व का न हो, पुष्टि में वाहन की आर0सी0 की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न करना होगा। अन्य बातों के समान हाने पर कम प्रयुक्त की गई वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। वाहन के प्रयुक्त होने का मानक किमी0 होगा।

5– एकमात्र प्रोपराइटर की दशा में अद्यतन आयकर का पंजीयन प्रमाण–प्रत्र संलग्न करना होगा।

6– कोटेशन के साथ संलग्न प्रारूप पर पते का प्रमाण–पत्र, प्रपत्रों की संख्या का प्रमाण–पत्र, प्रपत्रों का वास्तविक होने का प्रमाण–पत्र, तथा निविदादाता तथा वाहन चालक का सत्यापित फोटो का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

7– कोटेशन समिति को किसी भी कोटेशन अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

8– कोटेशनदाता कोटेशन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके साथ दी गई शर्तो का हस्ताक्षरित करेगा और अपना/ अपनी फर्म का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित करेगा।

9– **Rent Base** पर वाहन की व्यवस्था के ठेके के संबंध में वाहन का अनुरक्षण, चालक का मानदेय के अन्तर्गत समस्त कोटेशनदाता को वहन करने होगें तथा वाहन को कार्यशील स्थिति में उपलब्ध कराना होगा। विभाग इस संबंध में किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेगा।

10– कोटेशनदाता को वाहन के खराब होने अथवा चालक के अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल दूसरा वाहन/चालक उपरिलिखित शर्तो के अधीन उपलब्ध कराना होगा असमर्थता की दशा में भुगतान से यथोचित धनराशि बतौर हर्जाने काटी जा सकती है जिसका निर्धारण अनुबन्ध में दोनों पक्षों के आपसी सहमति से किया जायेगा।

11– **Rent Base** पर वाहन की व्यवस्था हेतु दरें बिना ईंधन के लिये आमंत्रित की गयी हैं तद्नुसार ही दरें अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।

12– कोटेशन की दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जाय किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नहीं हैं।

13– (क) ईंधन की व्यवस्था विभाग द्वारा कोटेशनदाता द्वारा कोटेशन के मुल्य सारणी (सूची) (मूल्य प्रस्तुत/ इंगित करने के प्रयोगार्थ)/ में दिये गये वाहन के औसत के आधार पर की जायेगी तथा इस अनुबन्ध में वाहन के औसत में विचलन स्वीकार नहीं होगा।

(ख) कोटेशनदाता को कोटेशन में भाग लेने के लिये किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय आदि देय नहीं होगा और नही किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा ही स्वीकार होगा।

निदेशक

प्रोद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर

Gopeshwar, Chamoli. Phone No. 01372-262244, e-mail: itgopeshwar@gmail.com